सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सक्षम न्यायालय आर्बीट्रेटर एवं जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 130/2024 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.
सीताराम सैन पुत्र छीतरमल सैन जाति नाई निवासी ग्राम अजबपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी एवम् उप खण्ड अधिकारी लालसोट (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 N के दिल्ली से बडोदरा का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निर्माण कार्य दौसा जिला दौसा की तहसील लालसोट की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही) जिला दौसा ।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक प० का० ई०/ दौसा/एल. ए. दौसा 87, गंगा विहार कॉलोनी होटल रावत पैलेस के पास आगरा रोड दौसा जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

विवाद मुआवजा प्रार्थना पत्र/आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध अवार्ड दिनांक 07–11–2022 फैसला इजलास न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 N के दिल्ली से बडोदरा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निर्माण कार्यवाही हेतु अवाप्तशुदा प्रोपर्टी कोड आईबीपी–64 खसरा नम्बर 38 अवाप्तशुदा स्ट्रक्चर का मुआवजा पुनः निर्धारण कराये जाने बाबत

उपस्थित– 1. श्री जितेन्द्र शर्मा(गंगावत) अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय — दिनांक 03.09.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम बड का पाडा के खसरा नंबर 38 के पारित संरचना मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 N दिल्ली से बडोदरा हेतु अवाप्ति की कार्यवाही करते हुए ग्राम बड का पाडा [illegible] दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 38 के संबंध में बनी संपत्ति, प्रोपर्टी कोड [illegible] के द्वारा अवाप्त की गई है। ग्राम बड का पाडा तहसील लालसो[illegible]शुदा की भूमि खसरा नम्बर 38 को प्रोपर्टी कोड आईबीपी –[illegible]वजा राशि की सू[illegible]म संख्या – 64 में प्रार्थी को कुल मुआवजा राशि 1,18,842/[illegible] रूपये तय किया गया [illegible] कि राजस्व रिकॉर्ड व मौके के विपरीत है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सही जांच नहीं की गई और ना ही प्रार्थी को मौके के अनुसार अवाप्त की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

संपत्ति का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी की पट्टेशुदा व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 38 में से अवाप्त की गई भूमि एवं सम्पत्ति की गणना टीनशेड छप्पर व पाटोल एवम् कच्चा निर्माण मानकर की गई है जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी की काफी वर्षो पूर्व से आबादी बसी हुई थी जिसमें प्रार्थी पक्का निर्माण कर रिहायशी तौर पर निवास कर रहा था लेकिन उसके बावजूद भी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की पट्टेशुदा कब्जे की भूमि एवं सम्पत्ति की अवाप्ति की कार्यवाही के बाद अवार्ड में प्रार्थी का सम्पूर्ण निर्माण कच्चा दिखाया गया है जबकि प्रार्थी ने एक पक्का कमरा, दो पक्की दुकान, शौचालय, स्नानघर, पानी का टैंक, पक्का चबूतरा आदि का पक्का निर्माण पट्टाशुदा भूमि में अवाप्ति से पूर्व ही काफी वर्षो पूर्व से ही किया हुआ है जिसके प्रमाण के लिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रस्तुत किये है एवम् अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि में प्रार्थी द्वारा लगाये गये पेड 5 बेडी, 10 आम, 5 बील पत्र, 5 अमरूद, 10 नींबू, 5 नीम के पेड जो कि लगभग 15 से 20 वर्ष पुराने पेड थे जिनकी भी गणना अवार्ड राशि में नहीं की गई और उसका भी मुआवजा प्रार्थी को अदा नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में जारी किया गया अवार्ड राशि का पुनः निर्धारण मौके की जांच करवाया जाकर भारत सरकार व एन एच ए आई के नियमो के अनुसार चार गुणा राशि अदा किया जाना न्यायोचित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व सक्षम प्राधिकारी एवम् उप खण्ड अधिकारी लालसोट को प्रार्थी ने कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि पुनः निर्धारण करवाया जा रहा है लेकिन आज दिनांक तक पुन निर्धारण नहीं किया है और अवाप्तशुदा संपत्ति को तोडने पर आमादा हो रहे है जिस वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बड का पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा में प्रार्थी की पट्टेशुदा की भूमि खसरा नम्बर 38 में बनी संपत्ति प्रोपर्टी कोड आईबीपी – 64 द्वारा अवाप्त एक पक्का कमरा, दो पक्की दुकान, शौचालय, स्नानघर, पानी का टैंक, पक्का चबूतराने आदि का पट्टाशुदा भूमि में पक्का निर्माण व खाली जमीन जिस पर पेड लगे हुए है का मुआवजा भारत सरकार व एन एच ए आई के नियमो के अनुसार चार गुणा राशि बढाकर तथा पेडो की राशि 5,00,000/–रूपये व 10,00,000/–रूपये रीहेबिलेशन चार्ज प्रार्थी को दिया जाने की कृपा करे। साथ ही जब तक पुनः निर्धारण नहीं हो जावे तब तक अप्रार्थीगण को प्रार्थी की संपत्ति में तोड फोड करने से प्रतिबन्धित किया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि के अनुसार विधिवत अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रार्थी की खसरा नम्बर 38 में प्रोपर्टी कोड आईबीपी – 64 द्वारा अवाप्त किया जाना एवं मुआवजा राशि की सूचि में क्रम संख्या –64 में कुल मुआवजा राशि 118842/– रूपये तयकी गई है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि का नियमानुसार सही प्रकार से जांच करवाया जाकर ही मुआवजा राशि तय की गयी है। उल्लेंखनीय है कि प्रार्थी की अवाप्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति का संरचना कोड आईबीपी – 64 में तय की गयी राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार सही प्रकार से अधिकृत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करवाकर मुआवजा राशि तय की गयी है। इसके अतिरिक्त सरंचना की मुआवजा राशि [illegible] करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र विधि, तथ्य [illegible] के कारण प्रथम दृष्ट्या ही काबिले खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने [illegible] प्रार्थना पत्र निराधार मात्र कयासात के आधार पर पेश किया है जो कि काबिले खारिज है। केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भूमि अवाप्ती हेतु अवाप्ती अधिकारी नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात् राजमार्ग के प्रावधा 3ए व 3डी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

अनुसार अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा व सरंचना, वृक्षों, निर्माण का मुआवजा हेतु अवार्ड निर्धारण किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज़ारी अवार्ड के मुताबिक ही मिन उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा मुआवजा राशि भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दी जाती है जिसके वितरण का कार्य नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मिन उत्तरदाता को मात्र हैरान् व परेशान करने की गरज से तथ्यों के विपरीत पेश किया है जो कि काबिले खारिज किये जाने योग्य है। दौसा जिले में एन. एच. 148 एन के कि0मी0 210 से कि०मी० 236 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये अवाप्ति की कार्यवाही की गयी। प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सर्वप्रथम 3 (ए) की अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 व 21.06.2021 को जारी की गई जिसमें कि अवाप्त की गई भूमि की किस्म गै.मु. आबादी दर्ज थी। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन मे इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अर्जन की जाने वाली भूमि के हितबद्ध पक्षकार जिसका कि अवाप्त की जाने वाली भूमि मे हित है। धारा 3ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र मे दिनांक 05.09.2018 व 21.06.2021 को जारी की गई व जिसका प्रकाशन किया गया, मे इस तथ्य का उल्लेख धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समय सीमा में कोई आपत्ति पेश नही की गयी। अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना के परीपेक्ष मे जो आपत्तियां की गई उनका धारा उसी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई जिसके आधार पर दिनांक 07.03.2019 व 25.08.2021 को 3डी की जारी की गई जिसमें अवाप्त की गई भूमि की किस्म गै. मु. आबादी दर्ज करते हुये स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। सडक परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत भारत के राजपत्र मे अधिसूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख है कि इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। धारा 3 जी के तहत अवाप्त शुदा भूमि का मूल्य एवम् निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (7) मे दिये गये निर्देशो की पालना मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना की गयी। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3 एच के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया जाता है। उक्त मुआवजे राशि को वितरण का कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जाता है। मुआवजा राशि के वितरण में मिन उत्तरदाता का कोई रोल नही होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष से मिनउत्तरदाता का कोई संबंध सरोकार नही है। आराजी खसरा नम्बर 38 के रकबे में से भूमि एन. एच. एक्ट के प्रावधानानुसार अवाप्त की गई और उक्त अवाप्त की गई भूमि स्थित परिसम्पत्ति का मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दिया गया जिससे मिनउत्तरदाता का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

कोई सरोकार नही रहा हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति/संरचना आदि के संदर्भ में प्राप्त सर्वे रिपोर्ट पर अवार्ड पारित किया गया। मिन उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा मुताबिक अवार्ड आदेश मुआवजा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु जमा करवा दिया गया है। प्रार्थी मिन उत्तरदाता से अन्य अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अवाप्तशुदा/ अर्जित भूमि पर स्थित भवन, वृक्षों व फसल आदि की धनराशि (Section 29 RFCTLARR Act–2013) भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये, सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान है, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि पर स्थित संरचना, सम्पत्ति आदि के संदर्भ में प्राप्त सर्वे रिपोर्ट पर अवार्ड पारित किया गया। उक्त तय की गयी मुआवजा राशि मुताविक अवार्ड आदेश सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु जमा करवा दिया गया है। प्रार्थी मनगढन्त निराधार असत्य एवं अनुचित एवं गलत तरीके से मिन उत्तरदाता से मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। इसलिये प्रार्थी मिन उत्तरदाता से इसके अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अवाप्त शुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकरी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं संरचना, निर्माण, वृक्ष, कुआ आदि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाता है व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी.एल.सी के आधार पर की जाती है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि व उसमें सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा जारी पॉलिसी गाईडलाईन के अनुसार सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बेसिक शिड्यूल आफ रेट के आधार पर किया जाता है। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्त अधिकारी लालसोट द्वारा अपने अधिनिर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि के बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पतियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण आगणित किये जाने की व्यवस्था दी गई है, जो परिसम्पतियाँ राजकीय भूमि मे स्थित है, उन पर तोषण (Solatium) देय नहीं हैं, इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा किया गया अधिनिर्णय उचित होने से पुष्टि किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 38 में से अवाप्त की गयी भूमि सरकारी भूमि है जिसका उल्लेख सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 3ए व 3[illegible] द्वारा अपने स्वामित्व के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समय सीमा में को[illegible] या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] किया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड[illegible] रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार उक्त प्रकरण ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट[illegible] खसरा नम्बर 38 गै०मु० आबादी में से भारतमाला परियोजना दिल्ली – मुम्बई एक्सप्रेस–वे एनएच 148एन हेतु अवाप्त भूमि में स्थित संरचना संख्या आईबीपी – 64 से संबंधित है। भारतमाला परियोजना दिल्ली –

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

Dwarka
जिला कलेक्टर,दौसा

मुम्बई एक्सप्रेस–वे एनएच 148 एन हेतु भूमि अवाप्त करने अधोहस्ताक्षरी को सक्षम अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त खसरा नम्बरान में से भूमि अवाप्त करने हेतु धारा 3ए की कार्यवाही का. आ. 2463 दिनांक 21.06.2021 को हुई जिसका दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 03.07.2021 को प्रकाशन करवाया गया। इसके उपरांत धारा 3 सी के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों से नियत समय में आपत्तियों ली जाकर आपत्तियो को अनुज्ञात किया गया। इसके बाद धारा 3डी की कार्यवाही का.आ. 3484 (अ) दिनांक 25.08.2021 को किया गया। संरचनाओं के मुआवजे हेतु भाराराप्रा पकाई दौसा के पत्रांक एनएचएआई/41004/22/पीआईयू/दौसा/बीएम/एलए/ लालसोट/14091 दिनांक 18.08.2022 को ग्राम बडकापाडा स्थित संरचनाओं जिसमें यह संरचना संख्या आईबीपी–64 भी शामिल है, का सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर संरचनाओं का दिनांक 07.11.2022 को अवार्ड जारी किया गया है। आबादी भूमि में स्थित संरचनाओं के संबंध में अधिसूचना जारी होने के समय प्रस्तुत आपत्तियों पर सुनवाई की जाकर अवार्ड की कार्यवाही की गई है। प्रश्नगत संरचना आईबीपी–64 का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर ही किया गया है जिसमें बफरिंग ल. 7 चौ. 3 गहराई/उँचाई 3 यूनिट 21 का 106860/– तथा खिडकी व दरवाजो के 3205/– इलेक्ट्रीक इंस्टालेसन 10686/– स्टोन पट्टी के 1499/– एवम टिन शेड के 6629/–रूपये का मुल्यांकन किया गया है इस आधार पर आबादी भूमि में स्थित प्रश्नगत संरचना का कुल 118842/–रूपये का मुआवजा तय किया गया है। जो कि नियमानुसार सही है। अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा नियम समय पर कोई आपत्ति नहीं किये जाने पर प्रार्थी की संरचना पर तोषण राशि नहीं दी गई है जो कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है। एवम किस्म सरकारी भूमि होने के कारण नियमानुसार तोषण राशि शामिल नहीं की जाकर राशि 118842 रूपये का अवार्ड जारी किया गया है। अवार्ड में संशोधन किये जाने का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा संरचना का नियमानुसार मूल्यांकन कर अवार्ड की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी के पट्टे के कथन के संबंध में अब आपत्ति समय गुजरने के कारण किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधिकृत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया गया है जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित है। इसी के अनुसार अवार्ड निर्धारित किय गया है जो नियमानुसार किया गया है एवं पूर्णतया सही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा संरचना का नियमानुसार मूल्यांकन कर अवार्ड जारी किया गया है जो सही है। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारिज योग्य है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने की कृपा करें।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी की पटटेशुदा भूमि खसरा नंबर 38 को अवाप्त किया गया था एवं उसकी मुआवजा राशि 118842/–तय की गई थी। उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा लगाये गये पेड 5 बेडी, 10 आम, 5 बील पत्र, 5 अमरूद, 10 नींबू, 5 नीम के पेड जो कि लगभग 15 से 20 वर्ष पुराने पेड थे जिनकी भी गणना अवार्ड राशि में नहीं की गई है। एवं प्रार्थी को पूर्व में जारी किये गये अवार्ड का निर्धारण भारत सरकार व एनएचएआई के नियमानुसार 4 गुणा राशि अ[illegible]वे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

9. भूमि अवाप्ति अधिकारी लाल[illegible].2025 में यह उल्लेख किया गया है कि भूमि अवाप्त [illegible] कार्यवाही दिनांक 21.6.2021 को हुई जिसका दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 3.7.[illegible]1 को प्रकाशन करवाया गया। उसके उपरांत धारा 3 सी के अंतर्गत हितबद्ध व्यक्ति[illegible] से आपत्ति ली जाकर 3 डी कार्यवाही दिनांक 25.8.2021 को की गई। उक्त भूमि पर स्थित प्रश्नगत संरचना का कुल

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

118842/—रू0 मुआवजा पारित किया गया जिसमें (बफरिंग ल. 7 चौ. 3 गहराई/उँचाई 3 यूनिट 21, खिडकी व दरवाजो, इलेक्ट्रीक इंस्टालेसन, स्टोन पट्टी, टिन शेड इत्यादि संरचनाएं शामिल है) उक्त संरचना सरकारी(आबादी) भूमि में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा संरचना का नियमानुसार मूल्यांकन कर अवार्ड जारी किया गया है एवं प्रार्थी का पट्‌टा आपत्ति समय गुजर जाने के उपरांत कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित एवं नियमानुसार है।

10. मुख्य विवाद के बिन्दु संरचना के सही मुआवजे नहीं दिये जाने के संबंध में पट्‌टाशुदा भूमि पर सोलेशियम नहीं दिये जाने के संबंध में है।

11. जहॉं तक संरचना की गणना के संबंध में प्रश्न है तो इस संबंध में मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित करवाया जाकर दिया गया हैं एवं प्रार्थी द्वारा इसके विरूद्ध कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मूल्यांकन गलत रूप से किया गया है।

12. साथ ही भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने कथन में किसी भी प्रकार का पट्‌टा प्रस्तुत किया गया है। पटटाशुदा संरचना न होने के कारण प्रार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है अतः सोलेशियम प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं उसे मूल संरचना की राशि का अवार्ड जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा सत्यापित किया गया है(118842 रू0) जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा जिन वृक्षों के संबंध में मुआवजा चाहा जा रहा है के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13. उपरोक्त तर्क के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 03 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested